राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.13(क)(1)गृह–2/2022 जयपुर, दिनांकः

आज्ञा

विषयः–कमांडों भत्ते की दरें निर्धारित करने बाबत।

वीआईपी, सार्वजनिक संपत्ति और नागरिकों को हिंसा, आतंकवाद और सशस्त्र बदमाशों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.11.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन स्वीकृत कमांडों भत्ते की दरें निम्न प्रकार पुनर्निर्धारित की जाती हैं:–

क.सं.	पदनाम	वर्तमान दर प्रतिमाह (रू.)	संशोधित दर प्रतिमाह (रू.)
1.	उप निरीक्षक	400/-	800/-
2.	हैड कानिस्टेबल	300/-	600/-
3.	कानिस्टेबल	200/-	400/-

कमांडों भत्ते के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अन्य दिशा–निर्देश यथावत लागू रहेगें। यह आज्ञा दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होगी।

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 122300021 दिनांक 03.08.2023 द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव,गृह(पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा– I), राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,गृह(पुलिस)

Signature valid

Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2023.08.14 19:01:53 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner